www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 12.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में आर.पी.एफ. के उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 2,000/- रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर रेलवे सुरक्षा बल, मध्य रेलवे, पुणे के उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया।

रेलवे सुरक्षा बल, (आर.पी.एफ.), मध्य रेलवे, पुणे के उप-निरीक्षक के विरूद्ध शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि उप-निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से उसका रेलवे में व्यापार जारी रखने हेतु उसे अनुमति देने के लिए 2,000 रू. की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं उप-निरीक्षक को शिकायतकर्ता से 2,000/-रू. की घूस की राशि स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के पुणे स्थित कार्यालय एवं आवासीय परिसरों से तलाशी की गयी जिसमें सम्पत्ति एवं दो बैंक खातों से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पुणे के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****